सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4136/CG/212/2025-RO-RPR/RU-I **दिनांक: 04.12.2025**

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-जशपुर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़-496331,
ई-मेल: jashpur.cg@gov.in
संपर्क सूत्र: 07763-223226

पुलिस अधीक्षक,
जिला-जशपुर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़-496331,
ई-मेल: sp-jashpur.cg@gov.in
संपर्क सूत्र: 07763-223240

विषय: दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "4 राज्यों में 10 साल में चर्च दोगुने बने, आदिवासियों की भूमि पर वन रहे" के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत ।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 19.12.2025** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

4.12.2025

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012